मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 98अ] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 19 जनवरी 2010—पौष 29, शक 1931

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 जनवरी 2010

क्र. एफ-1-2-2009-एक (1).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के खंड (2) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश शासन कार्य (आवंटन) नियम में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, अनुसूची में,—

(1) शीर्षक-सत्ताईस-नर्मदा घाटी विकास विभाग के अधीन, भाग (अ) में, अनुक्रमांक 1 तथा उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टि स्थापित की जाए, अर्थात् :—

1 नर्मदा घाटी में लघु, मध्यम तथा बड़ी परियोजनाओं का सर्वेक्षण, अनुसंधान क्रियान्वयन, निष्पादन तथा अनुरक्षण.''

(2) शीर्षक-इकतीस-जल संसाधन विभाग के अधीन, भाग (अ) में, अनुक्रमांक 1 तथा उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाए, अर्थात् :—

''1 राज्य में बड़ी, मध्यम तथा लघु सिंचाई योजनाओं को तैयार करना, उनका निष्पादन करना तथा अनुरक्षण करना,

1-क. नर्मदा घाटी में लघु तथा मध्यम परियोजनाओं का सर्वेक्षण, अनुसंधान क्रियान्वयन, निष्पादन तथा अनुरक्षण करना.''

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. आर. विश्वकर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 19 जनवरी 2010

क्र. एफ-ए 1-2-2009--एक (1).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए. 1-2-2009-एक (1), दिनांक 19 जनवरी 2010 का हिन्दी एवं अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. आर. विश्वकर्मा, उपसचिव.

Bhopal, the 19th January 2010

No. F. 1-2-2009-one-(I).—In exercise of the powers conferred by Clauses (2) and (3) of article 166 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh is Pleased to make the following further amendments in the Madhya Pradesh Government Business (Allocation) Rules, namely :—

AMENDMENTS

In the said rules, in the Schedule,—

(1) Under the heading XXVII-Narmada Valley Development Department, in Part (A), for serial number 1 and entry relating thereto, the following seriel number and entry relating thereto shall be substituted, namely:—

"I, Survey, research, implementation, execution and maintenance of minor, medium and major Projects in Narmada Valley.";

(2) Under the heading XXXI-Water Resources Department, in Part (A), for serial numbers (1) and entry relating thereto, the following seriel number and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

"(1) Preparation, execution and maintenance of Major, medium and minor irrigation schemes in the State.

(1-A) Survey, research, implementation, execution and maintenance of minor and medium Projects in Narmada Valley."

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
B. R.VISHWAKARMA, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.